प्रेस–विज्ञप्ति

मार्च 10, 2015

विषय : केन्द्रीय बजट–2015 पर टैक्स सेमिनार सम्पन्न

आज दिनांक 10 मार्च, 2015 को मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिऐशन(KITBA), कानपुर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सोसाइटी एवं सी0आई0आर0सी0 के संयुक्त तत्वावधान में केन्द्रीय बजट–2015 पर गोष्ठी सम्पन्न हुई।

चेम्बर के अध्यक्ष डा0 इन्द्र मोहन रोहतगीजी ने मुख्य अतिथि डा0 गिरीश आहूजा, नई दिल्ली एवं समस्त आगन्तुकों का गोष्ठी में पधारने का हार्दिक स्वागत किया।

केन्द्रीय बजट–2015 कर राहतों के नजरिये एंव आम आयकर दाताओं को इस बजट से कोई राहत अलग से नहीं मिली है। किन्तु देश के चर्तुमुखी विकास के लिए भविष्य का ढांचा इस बजट में अवश्य तैयार किया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के संशोधन **अप्रैल 2016 में जी0एस0टी0 लागू** करने का रोडमैप साबित होगा। काले धन के बढ़ती समानान्तर आर्थिक व्यवस्था पर रोक लगाने हेतु कड़े कानून, नियम व सजा के प्राविधान अमेरिका की तर्ज पर प्रस्तावित किये जा रहे है। किन्तु उसकी उत्पत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस कदम प्रस्तावित नहीं है।काले धन को रोकन के लिए आयकर कानूनों को सख्त किया गया है। सरलीकरण, उदारीकरण एवं करदाता के हितों में आड़े आने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास नही किये गये है। उक्त विचार दिल्ली से पधारे मुख्य अतिथि डा0 गिरीश अहूजा ने चेम्बर में आज की केन्द्रीय बजट की गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होने यह भी बताया कि बजट में कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए वित्त मंत्रीजी को ज्ञापन देना होगा।

डा0गिरीश अहूजा ने बताया कि 10 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं के लिए शुकन्या समृद्वि खाता बैंकों व पोस्ट आफिसों में खाता खोलना स्वागत करने योग्य है। साल में कम से कम एक हजार तथा अधिकतम 1.50 लाख रूपये जमा कराया जा सकता है। जिस पर 9.1 फीसदी कर मुक्त ब्याज मिलेगा। यह कन्याओं की शिक्षा व शादी के लिए यह योजना प्रस्तुत की गयी है। परिवार की दो कन्याओं के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धारा 80–सी के तहत सकल कुल आय की कटौती की सीमा में यह धनराशि सामिल होगी। बीमा, पेन्सन योजना में अब धनराशि एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी गयी है।

डा0 अहूजा ने बताया कि उद्योगों में प्लाण्ट व मशीनरी के निवेश पर 180 दिन में 10 फीसदी अतिरिक्त डिप्रेसेशन एंव उसके अगले वर्ष भी 10 फीसदी का लाभ मिलेगा। म्यूचुअल फण्ड यूनिट जो सेबी द्वारा एक समूह में समाहित कर दी गयी है वह एक म्यूचुअल फण्ड यूनिट से दूसरे म्यूचुअल फण्ड यूनिट में हस्तान्तरण पर कैप्टिल गेन्स टैक्स से मुक्त कर दिया गया है।

डा0 अहूजा ने बताया कि अब शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, अस्पतालों एवं चिक्त्सिा संस्थानों आदि को अपनी आय का आयकर रिर्टन अनिवार्य रूप से दाखिल करने होंगे ।

डा0 आहूजा ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल Insurance लेना चाहिए और इसको टैक्स प्राविधानों में छुट भी दी गयी है।

कानपुर चार्टटर्ड एकाउन्टेन्ट्स सोसाईटी के सचिव श्री नवल कपूर ने सभी आगन्तुकों का गोष्ठी में पधारने का हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। गोष्ठी में चेम्बर के उपाध्यक्ष श्री पदम कुमार जैन, सचिव श्री ए0 के0 सिन्हा, डा0 आर0जी बागला, चेम्बर की फिजकल कमेटी के चेयरमैन श्री मुकुल टण्डन, श्री सन्तोष गुप्ता, आयकर अधिवक्ता, KITBA के अध्यक्ष श्री दीपक कपूर, किटबा के सचिव श्री

प्रशान्त रश्तोगी,आई0सी0ए0आई0 से श्री अनुज गोयल, सी.आई.आर.सी. के उपाध्यक्ष, श्री पियूष अग्रवाल, के.सी.ए.एस. के अध्यक्ष श्री अनिल साहू, एंव औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

(ए0के0 सिन्हा)

सचिव